न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :– 117/2017

1. प्यारचन्द्र आत्मज रूपा जी धाकड निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ
2. श्रीमती सुरतीबाई पुत्री रूपा जी धाकड निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ
3. श्री ग्राम पंचायत आंवलहेडा प0स0 बेगूँ द्वारा सरपंच महोदय

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :–18.06.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री रूपा जी पिता खाना जी धाकड निवासी रूपपुरा के खातेदारी एवं कब्जे की साबीक बन्दोबस्त की आराजी नं0 274 रकबा 0.05 बिश्वा भूमी मौजा रूपपुरा तह0 बेगूँ में स्थित है, जो भूप्रबंध वालो ने भूप्रबंध के दौरान इस भूमि का नवीन रेकार्ड में कोई अंकन नहीं किया और बिना किसी विधिक आदेश के मौजा रूपपुरा की आराजी नं0 363 गैरमुरतकील आबादी में गिली हुई दर्शा दी।

कि भूप्रबंध वालो की इस गलती पर वादीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सा0 बेगू के यहां घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसका मु0नं0 47/014 राजस्व वाद होकर दिनांक 27.02.2015 को डिक्री किया गया और न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि मौजा रूपपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 363 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा आबादी में से रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि जो वर्तमान आराजी नम्बर 493 व 494 के उत्तर में लगती हुई है उसे कम की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित की जावें।

यह कि उपरोक्त डिक्री एवं निष्प्रय की पालना में तहसील व राजस्व कर्मचारियो ने जो तरमीम की और वादीगण की खातेदारी मे नवीन आराजी नम्बर 586/363 अंकित किये गये एवं नक्शा ट्रेस में इस नवीन नम्बर के पश्चिम की तरफ रास्ता अंकित कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है। जबकि रेकार्ड व साबिक नक्शे के अनुसार वादीगण की आराजी के पश्चिम में कोई रास्ता नहीं है अपितु वादीगण की आराजीयात के पश्चित की तरफ स्थित खातेदार की आराजी मिली हुई है और मध्य में कोई रास्ता नहीं है। वादीगण के साबीक आराजी नम्बर 274 के पश्चिम में पडोसी के नम्बर 271 है और इनके मध्य में कोई रास्ता नहीं होकर दोनो आराजीयात मिली हुई है।

यह कि उपरोक्त अनुसार नवीन नक्शे में की गई गलत तरमीम सुधारा जाना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में अनावश्यक विवाद व परेशानी हो सकती है इस हेतु वादीगण ने तहसील व राजस्व कर्मचारियो से आग्रह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई जिससे वादीगण के लिए यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि वादीग्गा की वर्तमान आराजी नं0 586/363 के पश्चिम में अर्थात आराजी नं0 489 के पूर्व में कोई रास्ता नहीं होकर दोनो आराजीयात मिली हुई है और इसी अनुसार नक्शे में जो तरमीम की गई है उसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण की ओर से राजस्थान राज्य व प्रतिवादीगण को पंजीकृत नोटिस दिनांक 03.03.2017 को देकर उपरोक्त अनुसार नक्शे में तरमीम कर सुधार किये जाने हेतु आग्रह किया गया किन्तु दो माह की अवधी गुजर जाने के पश्चात भी न तो कोई सुधार किया गया और न ही कोई उत्तर दिया गया।

यह कि बिना दावा दिनांक 19.12.2016 से शुरू होती है जबकि नक्शे की नकल लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी हुई एवं नोटिस की दिनांक 3.3.2017 से शुरू होती है जो प्रतिदिन हो रही है। यह कि वादग्रस्त आराजी मौज रूपपुरा तह0 बेगूँ में स्थित है और पक्षकार भी यही के निवासी है एवं काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है। वादीगण की प्रार्थना है कि :—

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा रूपपुरा तह0 बेगूँ की नव अंकित आराजी नं0 586/363 के पश्चिम में कोई रास्ता नहीं है ओर जो रास्ता नक्शे में दर्शित किया गया है, वह गीलत है जिसे विलोपित कर सही इन्द्राज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा वकील मेहताना वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें

(स) अन्य सहायता जो सुलभ हो ओर न्यायालय उचित समझे वादीगण को दिलवायी जावें।

वादीगण का वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार उपस्थित आए तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की और से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र की कलम संख्या 1 मुताबिक रिकोर्ड खसरा संख्या 363 रकबा 1.4100 हैक्टर गैर मुनकिन आबादी दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 से लायत 13 तक कानूनी होना अंकित किया तथा जवाब दावा के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि खसरा 363 रकबा 1.4100 रकबा आबादी दर्ज है। जो ग्राम पंचायत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है। इस प्रकार किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है वाद पत्र निरस्त योग्य है।

प्रतिवादी सं0 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। पत्रावली में वादपत्र एव प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी पत्र पृथक से तेयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :—

1— आया कि मौजा रूपपुरा तह0 बेगूँ की नव अंकित आराजी नं. 586/363 के पश्चिम में कोई रास्ता नहीं है ओर जो रास्ता नक्शे में दर्शित किया गया है वह गलत है जिसे विलोपित कर सही इन्द्राज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है? वादी

2— आया कि मुताबिक रिकोर्ड खसरा संख्या 363 रकबा 1.4100 हैक्टर रकबा गैरमुमकिन आबादी दर्ज है जो ग्राम पंचायत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है। इस प्रकार किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है, वाद पत्र निरस्त योग्य है? प्रतिवादीगण

3— अनुतोष ?

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी प्यारचंद्र आत्मज रूपा धाकड के प्रस्तुत किये जिन्होने मुख्य परीक्षण दौरान पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा जिरह में बताया कि मौके पर जो पटवारी द्वारा रास्ता तरमीम किया गया वर्तमान वह जगह खाली पडी है इस रास्ते मे हम खुद ही निकलते है। यह हमारे खेत का ही भाग है। प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर बादं की गई तथा प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार द्वारा प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर किया।

इस दावा पत्रावली मे वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने व प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के पश्चात पत्रावली में न्यायालय द्वारा जरिये पत्रांक 312 दिनांक 23.12.21 से मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को लिखा गया। तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांम/भू.अ./2024/6108 दिनांक 16.12.2024 के साथ मौका रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत कादून्दा की रिपोर्ट तथा पर्चामौका रिपोर्ट व नक्शा के साथ इस न्यायालय को प्रेषित की गई। रिपोर्ट अनुसार यह कि आराजी संख्या 586/363 के पश्चिम में रास्ता मौके पर बना होरक वर्तमान मे चालु है। उक्त रास्ता आगे जाकर बिलानाम रास्ता आराजी नं. 490 से मिलता है। जिसमें से होकर आगे के खेतो वाले किसान आते जाते है।

यह कि उक्त रास्ता जो राजस्व नक्शे मे दर्शाया गया है वह सही है। उक्त रास्ते को बन्द किये जाने से रास्ता बंद हो जायेगा जिससे काश्तकारो का आवागमन बाधित होगा। यह कि वर्तमान मे रास्ता आराजी नं. 586/363 के पश्चिम में बना हुआ है जो आगे जाकर खातेदारी आराजीयात के मध्य से निकलने वाले बिलानाम रास्ता आराजी दृ नं.490 से मिलता है।

...अतिo वृत कादूनदा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके अनुसार तरमीम सही की गई ... साथ ही अंकित किया है कि आराजी नं. 586/363 व आराजी नं. 489 रकबा 0.04 हैक्टर ...रामलाल राहुल पिता मोहनलाल धाकड सा.देह की खातेदारी) आपस में मिली हुई नहीं होकर मध्य में रास्ता है प्रार्थी तरमीम संशोधन कराकर रास्ते को बन्द करना चाहता है जो अनुचित है इसके लगता हुआ आगे बिलानाम रास्ता है। इसके बन्द होने से आगे का बिलानाम रास्ते का प्रवेश बन्द हो जाएगा।

पत्रावली में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि सहवन से आराजी 363 आबादी कर दी गयी। 363 म से 0.054 हैक्टर रकबा मिलाकर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने का आदेश किया। इस आदेश से 586/363 खातेदारी में अंकित हुए। पश्चिम मे रास्ता बता दिया गया। जो कि गलत है। क्यो कि मेरी साबिक आराजी म पश्चिम में कोई रास्ता नहीं है किसी खातेदारी की आराजी है मेरे पश्चिम म। निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी मौजा रूपपुरा प0ह0 आंवलहेडा की सम्वत 2070 से 73 तक की प्रस्तुत की है जो प्रदर्श– 1 है। इस जमाबंदी में राजकीय भूमि का अंकन होकर प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 363 रकबा 1.4100 हैक्टर भूमि आबादी की भूमि होना अंकित किया हुआ है। वादीगण द्वारा नकल निर्णय की सत्यप्रति प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श–1 है, इसमें इस न्यायालय द्वारा दावा संख्या 47/2014 व अनवान श्री प्यारचंद बनाम राज0सरकार वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट में निर्णय दिनाक 27.2.2015 से निम्न निर्णय पारित किया गया:– " <u>अतः वाद वादीगण का अ0धा0 88 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा रूपपुरा प0ह0 आंवलहेडा की आराजी संख्या 363 रकबा 8बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से रकबा 0.0540 हैक्टर कम करते हुए उक्त रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि जो कि वर्तमान आराजी संख्या 493 व 494 के उत्तर में लगती हुई कावादीगण श्री प्यारचंद पिता स्व0 कना जी धाकड नि0 रूपपुरा एवं श्रीमती मुरलीबाई पुत्री कना जी धाकड निवासी रूपपुरा के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।</u>" वादीगण द्वारा प्रदर्श–3 नक्शा किश्तवार ग्राम रूपपुरा का प्रस्तुत किया है तथा प्रदर्श–4 नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रदर्श–5 नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 से श्री राजस्थान राज्य द्वारा कलेक्टर साहब चित्तौडगढ व भूमिधारी तहसीलदार बेगूं व ग्राम पंचायत आंवलहेडा को दिया गया जिसके मिलान की रसीद प्रदर्श–6 से 8 तक है। इन सभी दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात पत्रावली में न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के पूर्ववादा संख्या 47/2014 में न्यायालय के आदेश द्वारा आराजी संख्या 363 रकबा 8बीघा 15 बिस्वा भूमि म स रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि जो कि वर्तमान आराजी संख्या 493 व 494 के उत्तर में लगती हुई है को वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था।

वादीगण अपने वादपत्र के माध्यम से आराजी नं0 586/363 के पश्चिम में कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते है जिसे वह विलोपित करवाना चाहते है। लेकिन पर्यवेक्षक रिपोर्ट व रास्ते की रिपोर्ट में अंकित है कि <u>"यह कि वर्तमान मे रास्ता आराजी नं. 586/363 के पश्चिम मे बना हुआ है जो आगे जाकर खातेदारी आराजीयात के मध्य से निकलने वाले बिलानाम रास्ता आराजी नं. 490 से मिलता है। भू0अभि0 वृत कादूनदा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि मौके अनुसार तरमीम सही की गई है। साथ ही अंकित किया है कि आराजी नं. 586/363 व आराजी नं. 489 रकबा 0.04 हैक्टर (रामलाल राहुल पिता मोहनलाल धाकड सा.देह की खातेदारी) आपस मे मिली हुई नहीं होकर मध्य मे रास्ता है प्रार्थी तरमीम संशोधन कराकर रास्ते को बन्द करना चाहता है जो अनुचित है इसके लगता हुआ आगे बिलानाम रास्ता है। इसके बन्द होने से आगे का बिलानाम रास्ते का प्रवेश बन्द हो जाएगा।"</u> हमारे द्वारा मय नक्शा का अवलोकन किया गया जिससे पूर्व से ही पश्चिम म रास्ता है, जिसको विलोपित किया जाने पर अन्य काश्तकारो को उनके खेत पर आने जाने मे बाधा उत्पन्न होगी क्यो कि यह रास्ता आगे बिलानाम भूमि के रास्ते से मिलता है। इस प्रकार

57

को उनकी आराजी की सुविधा के लिए अन्य काश्तकारो के मार्ग को नियमानुसार बाधित किया जाना हम न्यायसंगत नहीं समझते है। साथ ही वर्तमान में आराजी संख्यसा 363 रकबा 1.4100 हैक्टर भूमि का रकबा आबादी दर्ज है जो ग्राम पंचायत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है जिसमें किसी को भी खातेदारी अधिकारी दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण अपने वादपत्र का सिद्ध नहीं करा सके है। तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार का है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। लेकिन न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार तनकी नं0 1 को जो कि वादीगण के जिम्मे की तनकी थी को वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाने से यह तनकी स्वतः ही प्रवितादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाती है।

इस प्रकार वादीगण अपने पक्ष की तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहने से वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 117/2017

1. प्यारचन्द्र आत्मज रूपा जी धाकड निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ
2. श्रीमती सुरतीबाई पुत्री रूपा जी धाकड निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ
3. श्री ग्राम पंचायत आंवलहेडा प0स0 बेगूँ द्वारा सरपंच महोदय

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.06.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जात है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ